राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–602/2016/बांसवाड़ा

श्री कौशल अग्रवाल पिता श्री विनोदजी अग्रवाल, निवासी कुशलबाग पैलेस, बांसवाड़ा। ....प्रार्थी

बनाम

1. कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त, उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक बांसवाड़ा।
3. गौतम माली पिता स्व. श्री भूरा जी माली निवासी गांधीमूर्ति के पास, बासंवाड़ा।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

नाम तर्क किया गया ...अप्रार्थी संख्या 3

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.02.2012 प्रकरण संख्या 41/2008 व आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर पारित निर्णय दिनांक 11.08.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2012 द्वारा उप–पंजीयक, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है तथा प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 11.08.2014 द्वारा खारिज किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विक्रेतागण ने पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की जमाबन्दी खाता नं. 79(नई) 383 (पुरानी) का सर्वे नम्बर 2515/1188 रकबा 01 बीघा, 13 बिस्वा कृषि भूमि वाके गांव बासंवाडा पटवार हल्का बासंवडा तहसील एवं जिला बासंवाडा ने प्रार्थी को 25 लाख रू. में कृषि भूमि का सौदा हूआ जिनको चैक द्वारा भगुतान किया गया। व उपपंजीयक, बासंवाडा के यहा दिनांक 03.09.2007 को दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जिसके तहत धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र व दस्तावेजों को निष्पादित किया गया और कृषि भूमि की डी.एल.सी. के अनुसार नियमानुसार जांच कर, मुद्रांक कर 1,62,500/– व पंजीयन शुल्क 25,000/– रू. वसूल करके मूल दस्तावेज लौटा दिये गये। तत्पश्चात उप–पंजीयक, बासंवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र

लगातार.........2

प्रस्तुत कर कृषि भूमि को आवासीय मानते हुये मुद्रांक कर कम अदायगी मानते हुए प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन एकपक्षीय निर्णय दिनांक 22.02.2012 द्वारा उप–पंजीयक के रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए सम्पत्ति की मालियत 28,74,960/– मानते हुए कमी मुद्रांक कर 1,66,400/– रू. एवं कमी पंजीयन शुल्क 21,850/– रू., शास्ति 250/– कुल राशि 1,88,500/– रू प्रार्थी से वसूल करने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी ने एकपक्षीय निर्णय को निरस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2013 प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 11.08.2014 द्वारा अस्वीकार किया गया जिनके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 3 का नाम विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस आधार पर तर्क किया गया कि अप्रार्थी संख्या 3 विक्रेता है तथा मुद्रांक कर आदि की देयता का दायित्व प्रार्थी क्रेता का है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि आदेश दिनांक 22.02.2012 इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है जो कि विपक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रेफरेन्स किया गया है व नॉन स्पीकिंग था, जिसमें कोई विशिष्ट कारण व आधार अंकित ही नही किये गये। केवल मात्र नोटिस अन्तर्गत धारा 54 मुद्रांक अधिनियम में यह उल्लेख किया है कि विलेख द्वारा अन्तरित संपत्ति का प्रचलित बाजार दर/निरीक्षण द्वारा सही मार्केट के आधार पर कमी मुद्रांक कर जमा करावें। इस प्रकार मुद्रांक कर की कमी अदायगी के सम्बन्ध में रेफरेन्स संधारणीय व पोषणीय नही था जो कि आक्षेप काल बाधित (टाईम बार्ड) जिसके आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Non Speaking व Non Reasoned है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है तथा मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर रेफरेन्स खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

लगातार.........3

9. विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति को कृषि भूमि मानते हुए मालियत राशि रूपये 3,15,000/– पर मुद्रांक कर आदि वसूल कर दस्तावेज दिनांक 26.09.2007 को पंजीबद्ध कर लौटा दिया गया। उप–पंजीयक, बांसवाड़ा ने दिनांक 04.02.2008 को रेफरेन्स प्रस्तुत कर प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय आधार पर करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स को यथावत स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि रेफरेन्स किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उप–पंजीयक बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 04.02.2008 में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नही है कि सम्पत्ति को आवासीय क्यों माना जा रहा है तथा यह तथ्य अब कैसे ध्यान में आया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में न तो रेफरेन्स के संबंध मे व न ही रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई विवेचन या विश्लेषण किया है।

10. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही साईक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on

appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction processof judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

11. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2017 को पेश हों।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य